

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. **322**/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./उ.प्र.-वि.परिषद स्नातक एवं शिक्षक/बीई/2017 दिनांक: **10** जनवरी, 2017

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषय: 3 स्नातक एवं 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2017-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर दिनांक **07.01.2017** के आपके पत्र सं. **45/सीईओ-2-34/2-2017** को संदर्भित करने और राज्य सभा एवं राज्य विधान परिषद, **2016** के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारियों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की हैण्डबुक के अध्याय xi(ii) के पैरा **51.1** की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि “जब कभी भी, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा के लिए निर्वाचन, दोनों एक साथ शीघ्र ही आयोजित किए जाने हैं तो विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के दौरान किसी दुविधा से बचने के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के सीधे हाथ की तर्जनी अंगुली पर और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के सीधे हाथ की बीच की अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।”

भवदीय,

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव